26/11/2020

80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह में भाषण

- आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का समापन केवड़िया में हो रहा है। हमारा परम सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन के समापन समारोह में हम सबसे जुड़े हैं।

- सम्मेलन का आयोजन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पावन जन्म भूमि पर हो रहा है जहां एक ओर पुण्यसलिला मां नर्मदा का सतत प्रवाह है एवं दूसरी ओर राष्ट्र के एकीकरण के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा है।

- यह पूरा क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नये भारत के निर्माण के विजन का प्रतिबिंब है। उन्होंने एक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में पर्यावरण और विकास का अदभुत संतुलन रखते हुए एक विश्वस्तरीय एवं आत्मनिर्भर क्षेत्रीय विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है।

- इस मॉडल में स्थानीय आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए रोजगार और कल्याण के सतत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी पीठासीन अधिकारी उनकी इस दूरदर्शिता से प्रेरित हुए हैं।

- आज भारत के संविधान की 71वीं सालगिरह के पुनीत अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता के सूत्रधार सरदार वल्लभभाई पटेल की विशाल प्रतिमा की छत्रछाया में संविधान की शपथ लेकर हमें दिव्य अनुभूति हुई है। यह शपथ हमारे लिए औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माताओं के प्रति हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है।

- विषम परिस्थितियों के बावजूद दो दिनों के इस महासम्मेलन में 20 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे। सभी प्रतिनिधियो ने संवैधानिक विषयों पर व्यापक संवाद किया और अपने अनुभवों तथा विधानमंडलों में किए जा रहे नवाचारों को साझा किया।

- सम्मेलन में सभी का यह मत था कि संविधान की मूल भावना के अनुसार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपनी-अपनी सीमाओं के अंदर सहयोग, सामंजस्य और समन्वय की भावना से कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब सभी संस्थाएं मजबूत होने के साथ-साथ जनता के प्रति उत्तरदायी और पारदर्शी हों।

- पीठासीन अधिकारियों ने सामूहिक संकल्प भी लिया कि हम विधायिका को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के साथ-साथ सदन की गरिमा एवं सम्मान को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभा ने लोकतंत्र उत्सव के आयोजन, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ विधायिका पुरस्कार की स्थापना और नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के प्रसार का भी निर्णय लिया।

- सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का समयबद्ध तरीके से प्रभावी क्रियान्वयन करने का संकल्प लिया गया।

- हमारे राष्ट्रनायकों ने दलगत और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर एवं नागरिकों को केन्द्र में रखकर संविधान की रचना की थी। आज हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करें। हम भले ही अलग-अलग दलों से चुनकर आते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य देशहित और जनहित ही होता है।

- स्वतंत्रता के समय हमारे देश की परिस्थितियां इस प्रकार की थीं कि नागरिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया था। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का समर्पित भाव से पालन करें।

- हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के निर्वहन पर भी समान बल देता है। संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराता है।

- हमारे देश की जनता ने भी इन्हीं आदर्शों को आत्मसात किया है। आज कोरोना वैश्विक महामारी के समय सभी देशवासी सामूहिक प्रयासों से इस चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं और अपने नागरिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं।

- आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर गुजरात की इस पुण्य भूमि से हम एक नए और महान राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेकर जा रहे हैं। इसी धरती से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लौह पुरूष सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का आह्वान किया था और आज इसी धरती के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हमारा देश सफलता, शौर्य और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।

- प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आज हमारा दायित्व है कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना रखते हुए राष्ट्र निर्माण का संकल्प जन-जन तक पहुंचाएं। संविधान दिवस पर यही हमारा सच्चा संकल्प होगा और अपने संविधान निर्माताओं के प्रति सच्चा समर्पण होगा।

- अंत में, मैं सभी पीठासीन अधिकारियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं।

॥ जय हिंद ॥